

2. प्रार्थना-पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के उपस्थित न्यायालय नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।
3. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या खसरा संख्या 1652/2, 1653, 1642, 1646 मौजा कांधी की ढाणी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में उक्त रास्ता बारहमासी चालू रास्ता होने पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तहसीलदार गुड़ामालानी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तावित मार्ग पर कदीमी रास्ता मौके पर चालू है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार केवल बारहमासी मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।
4. उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैंड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की शक्तियां भू-अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू-अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।
5. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (लैंड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के प्रावधानों के तहत खसरा संख्या खसरा संख्या 1652/2, 1653, 1642, 1646 मौजा कांधी की ढाणी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर चालू रास्ते के भूमि उपयोग को गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का उक्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना-पत्र में वर्णित खसरा संख्या खसरा संख्या 1652/2, 1653, 1642, 1646

मौजा कांधी की ढाणी पटवार मण्डल
गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी को राजस्व
रिकॉर्ड में गै०मु० रास्ता दर्ज किये जाने के
आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते
हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 11.08.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर
युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुड़ामालानी-बाड़मेर

